



2026:AHC-LKO:20087

इलाहाबाद उच्च न्यायालय

लखनऊ

आपराधिक विविध जमानत प्रार्थना पत्र संख्या- 1781/2026

शारुक बेग @ डॉक्टर @ निहाल

.....प्रार्थी(गण)

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य द्वारा प्रमुख सचिव (गृह), लखनऊ

.....विपक्षी (गण)

प्रार्थी(गण) के अधिवक्ता	: सचिन वर्मा
विपक्षी (गण) के अधिवक्ता	: शा० अ०

न्यायालय संख्या- 15

माननीय न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार

अभियुक्त-प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता तथा राज्य की ओर से विद्वान अ.शा.अ. को सुना, और अभिलेख का भी अवलोकन किया।

प्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया है कि गैंग चार्ट में प्रार्थी के विरुद्ध चार मामले दर्शाए गए हैं, जिनमें से सभी में उसे पहले ही जमानत पर रिहा किया जा चुका है। उक्त मामलों से संबंधित जमानत आदेशों को जमानत प्रार्थना पत्र के संलग्नक संख्या 3 से 6 के रूप में अभिलेख पर प्रस्तुत किया गया है। इसके अतिरिक्त, यह भी निवेदन किया गया है कि प्रार्थी का सोलह अन्य मामलों का आपराधिक इतिहास है, जिसका विस्तृत उल्लेख जमानत प्रार्थना पत्र के प्रस्तर 8 में किया गया है। उपर्युक्त के अतिरिक्त, प्रार्थी का कोई अन्य आपराधिक इतिहास नहीं है।

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। समस्त कानूनी और सरकारी उद्देश्यों हेतु, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



आगे यह भी निवेदन किया गया है कि प्रार्थी 11.02.2026 से जेल में निरुद्ध है, और यदि उसे ज़मानत की सुविधा प्रदान की जाती है, तो इस बात की कोई आशंका नहीं है कि वह न्यायिक प्रक्रिया से भाग जाएगा। इसके अतिरिक्त, यह भी निवेदन किया गया है कि प्रार्थी अवर न्यायालय द्वारा पारित सभी आदेशों का पालन करेगा और मामले के शीघ्र परीक्षण में सहयोग करेगा।

विद्वान अ.शा.अ. ने ज़मानत प्रार्थना पत्र का विरोध किया है, लेकिन अभियुक्त-प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा पेश किए गए तथ्यों पर कोई विवाद नहीं किया है।

इस तथ्य पर उचित विचार करने के बाद कि गैंग चार्ट में उल्लिखित मामलों में प्रार्थी को पहले ही ज़मानत पर रिहा किया जा चुका है, और यह कि प्रार्थी का सोलह अन्य मामलों का आपराधिक इतिहास है, जिसका ज़मानत प्रार्थना पत्र के प्रस्तर 8 में विधिवत उल्लेख किया गया है; साथ ही इस तथ्य को भी ध्यान में रखते हुए कि प्रार्थी 11.02.2026 से जेल में निरुद्ध है, और मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त किए बिना, यह न्यायालय इसे प्रार्थी को ज़मानत पर रिहा करने के लिए एक उपयुक्त मामला मानता है।

तदनुसार, ज़मानत प्रार्थना पत्र **स्वीकार** किया जाता है।

प्रार्थी, **शाहरुख बेग @ डॉक्टर @ निहाल**, जो प्रथम सूचना रिपोर्ट /मामला अपराध संख्या 377/2025 में, उत्तर प्रदेश गिरोहबंद समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 2/3 के तहत, थाना गुरुबख्शगंज, जिला रायबरेली में अभियुक्त है, उसे संबंधित न्यायालय की संतुष्टि के अनुसार, उसी राशि का एक व्यक्तिगत बंधपत्र और दो प्रतिभू प्रस्तुत करने पर ज़मानत पर रिहा किया जाए; साथ ही, न्याय हित में निम्नलिखित शर्तें भी अधिरोपित की जाती हैं:

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। समस्त कानूनी और सरकारी उद्देश्यों हेतु, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



प्रार्थी सुनवाई के दौरान साक्ष्यों के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा।

प्रार्थी अभियोजन पक्ष के साक्षियों पर दबाव नहीं डालेगा और न ही उन्हें डराएगा-धमकाएगा।

प्रार्थी, मामले के तथ्यों से परिचित किसी भी व्यक्ति को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई प्रलोभन, धमकी या वादा नहीं करेगा, ताकि उन्हें ऐसे तथ्यों को न्यायालय या किसी पुलिस अधिकारी के समक्ष प्रकट करने से रोका जा सके, या अन्यथा साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ की जा सके।

प्रार्थी को एक वचन पत्र देना होगा कि वह साक्ष्य के लिए नियत तिथियों पर, जब साक्षी न्यायालय में उपस्थित हों, कोई स्थगन नहीं मांगेगा। यदि इस शर्त का उल्लंघन होता है, तो परीक्षण न्यायालय इसे ज़मानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग मान सकता है और विधि अनुरूप उचित आदेश पारित कर सकता है।

प्रार्थी, उत्तर प्रदेश गिरोहबंद समाज विरोधी क्रियाकलाप (निवारण) अधिनियम, 1986 की धारा 19(4) के तहत एक शपथ-पत्र पर यह वचन देगा कि वह किसी भी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होगा और न ही ज़मानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करेगा।

प्रार्थी को निर्धारित प्रत्येक तिथियों पर परीक्षण न्यायालय के समक्ष, या तो स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित रहना होगा। यदि वह किसी पर्याप्त कारण के बिना अनुपस्थित रहता है, तो परीक्षण न्यायालय उसके विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 229-क (जो अब भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 269 है) के तहत कार्यवाही कर सकता है।

यदि प्रार्थी परीक्षण के दौरान ज़मानत की स्वतंत्रता का दुरुपयोग करता है और, उसकी मौजूदगी सुनिश्चित करने के लिए, धारा 82 दं०प्र०सं० (अब धारा

अस्वीकरण: अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिये प्रयोग नहीं किया जा सकता है। समस्त कानूनी और सरकारी उद्देश्यों हेतु, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।



84 भा.ना.सु.सं.) के तहत उद्घोषणा जारी की जाती है, और यदि वह ऐसी उद्घोषणा में नियत तिथि पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने में असफल रहता है, तो परीक्षण न्यायालय विधि अनुरूप धारा 174-क भा०दं०सं० (अब भारतीय न्याय संहिता, 2023 का धारा 209) के तहत उसके विरुद्ध कार्रवाई शुरू करेगा।

यह स्पष्ट किया जाता है कि इस आदेश में की गई टिप्पणियाँ केवल वर्तमान ज़मानत प्रार्थना पत्र तक ही सीमित हैं, और इनका परीक्षण के गुण-दोष पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

19 मार्च, 2026

मधु जे.आर./पी.एस.

(न्यायमूर्ति करुणेश सिंह पवार)